राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 /2157 /2023 दिनांकः 05 अगस्त, 2023

अधिसूचना

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों की सत्र 2021–22 में बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बी0काम0 के प्रथम वर्ष (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) के वे छात्र जो द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत हो गये थे, परन्तु किसी कारणवश तृतीय वर्ष में प्रोन्नत नहीं हो पा रहे हैं, के निराकरण हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा दिनांक 02.08.2023 को आख्या प्रेषित की गयी जिसे **परीक्षा समिति** की बैठक दिनांक 05.08.2023 में अनुमोदन प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सन्दर्भ में जारी शासनादेश संख्या–1032 / सत्तर–3 –2022–08(35) / 2020 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 के **बिन्दु सख्या–3 कक्षोन्नति / प्रोन्नति के प्रस्तर 3.3** में यह उल्लिखित है कि–***"द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिये प्रथम वर्ष के आवश्यक 46 / 48 क्रेडिट के सभी (मुख्य / माइनर / स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा सह–पाठ्यक्रम पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।"***

उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के आलोक में ऐसे अनुत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) से तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में प्रोन्नति हेतु प्रथम वर्ष (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) के आवश्यक 46 / 48 क्रेडिट तथा मेजर, माइनर, को–करिकुलर, सह–पाठ्यक्रम के सभी पेपर उत्तीर्ण होने की शर्त लागू है।

उक्त के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.08.2023 में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये **शासनादेश के बिन्दु संख्या–3 के प्रस्तर 3.3 में शिथिलता प्रदान की गयी है। जिसमें सत्र 2021–22 के ऐसे समस्त छात्र जो तृतीय वर्ष में प्रोन्नत नहीं हो पा रहे है उन्हें इस शर्त के साथ प्रोन्नत किया गया है कि वे प्रथम सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित समस्त प्रश्नपत्रों को पंचम सेमेस्टर के साथ एवं द्वितीय सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित समस्त प्रश्नपत्रों को छठवें सेमेस्टर के साथ उत्तीर्ण नहीं कर लेते, तब तक उन्हें स्नातक उपाधि प्रदान नहीं की जायेगी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त व्यवस्था वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत केवल सत्र 2021–22 हेतु की जा रही है। इसे आगामी वर्षों के लिये नजीर न माना जाए।**

05/8/23

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा / अलीगढ़।
3. प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी वेबसाईट को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगईन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल।

05/08/23
सहा0 कुलसचिव

Scanned with CamScanner